प्रकाशन हेतु अनुमोदित

युगल–पीठ (दांडिक)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुरः
दांडिक अपील क्रमांक 2985/1999

अपीलार्थी : बीरेंद्र वर्मा पिता – फिरतू राम
उम्र – 26 वर्ष निवासी – ग्राम फुंडा, थाना – पाटन
जिला – दुर्ग (मध्य प्रदेश) अभिरक्षा में

बनाम

प्रत्यर्थीः मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा – थाना पाटन ,जिला दुर्ग (म.प्र.)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक :2985/ 1999

बीरेंद्र वर्मा

बनाम
मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

निर्णय हेतु विचारार्थ
सही/
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री एल सी भादू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/
एल सी भादू
न्यायाधीश

दिनांक 05/10/2005 को सूचीबद्ध किया जावे

सही/
न्यायाधीश
05/10/2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक :2985/ 1999

बीरेंद्र वर्मा
विरुद्ध
मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

कोरम के समक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री एल सी भादू
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप राव साहेब देशमुख

अपीलार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री अभय तिवारी
राज्य की ओर से – श्री देवेश वर्मा , पैनल अधिवक्ता

निर्णय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

05/10/2005 को उदघोषित किया गया
न्यायाधीश श्री दिलीप राव साहेब देशमुख के द्वारा:

1) यह अपील, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग , श्री ए के चतुर्वेदी द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 209/99 में दि. 15/10/99 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है , जिसमे अपीलार्थी को अपनी पत्नी, रेवती बाई की 28/29 अप्रैल, 1999 के दरम्यानी रात को, ग्राम फुंडा, थाना पाटन, मे हत्या करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि करते हुए आजीवन कारावास एवं रु 1000/ अर्थदंड से दण्डित किया गया है, अर्थदंड रु 1000/ का भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर 6 महीने साधारण कारावास भुगतना होगा।

2) यह अविवादित है की मृतक रेवती बाई,, अपीलार्थी की धर्म पत्नी थी। यह भी अविवादित है क़ी 28/29 अप्रैल की दरम्यानी रात को रेवती बाई की मृत्यु गले में रस्सी घोटने के कारण हुई थी ।यह स्वीकृत है कि प्रार्थी घटना दिनांक की रात को थान सिंह अ.सा. 3, के यहाँ , ग्राम नवागांव , मे शादी मे शामिल होने गया था । यह भी अविवादित है की प्रार्थी 28/29 अप्रैल 1999 की दरम्यानी रात को देर रात बलवंत वर्मा (अ.सा.4) के घर गया था और उसी के घर मे सोया था। डेरहाराम (अ.सा. 7) अपीलार्थी के ससुर है।

3) संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है की अपीलार्थी 28/29 अप्रैल ,1999 की दरम्यानी रात को, थान सिंह (अ.सा.3) के यहाँ से बारात से लौटने के बाद अपनी पत्नी रेवती बाई की हत्या रस्सी और लूंगी से गला घोट कर की थी, उसके बाद घर के अन्दर के समान को बिखेर कर यह दिखाने की कोशिश किया की मामला चोरी का है और देवाड़ा नहर के पास खेत मे गड्डा खोद कर रु 2800/ छुपा दिये थे। उसके बाद वह बलवंत वर्मा (अ.सा.4) के घर जा कर सो गया था । 30 अप्रैल 1999 की सुबह अपीलार्थी अपने घर वापिस आकर ,पत्नी की मृत्यु की चीख पुकार करने लगा। चोलन दास (अभी साक्ष्य 1) आरती दास (अ.सा.2) वहाँ गये देखा की मृतक रेवती बाई का गला चारो तरफ रस्सी व कपड़े से गला बंधा हुआ था । चोलन दास (अ.सा.1) ने दिनांक 29/04/1999 को सुबह 10.30 बजे थाना पाटन मे प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज़ कराई थी । विवेचना अधिकारी, आर के जोशी , (अ.सा.8) ने ग्राम फुंडा पहुंच कर समीक्षा ज्ञापन तैयार किया , (प्रदर्श पी 7) और मर्ग सूचना दर्ज (प्रदर्श 8) की । रेवती बाई के शव को शव परीक्षा के लिए भेजा गया डॉक्टर लाल मोहम्मद (अ.सा.9) ने पाया मृतक का चेहरा नीला पड़ गया, आंखे बंद थी और जीभ दांतो के बीच से निकला हुआ था ।गले के चारो और लूंगी से कसने के निशान थे जिसके दाहिने तरफ गांठ था ।गले के चारो ओर एक अन्य निशान, रस्सी कसने का निशान था जिसके तरफ बाएँ गांठ था ।गले के चारो ओर एक अन्य निशान रस्सी से कसने का था जिसके बाएँ तरह गांठ था । गले के चारो ओर रस्सी से कसने संपीड़न चिन्ह पाये गये।सिर के त्वचा के बाएँ पार्श्व भाग पर 4*5 सेंटिमीटर का क्षेत्र सुजा हुआ था ।10*6 सेंटिमीटर का रक्त का थक्का सिर पर उपस्थित था। सिर के नीचे पार्श्व के मध्य मे 6*3 सेंटिमीटर का एक रक्त का थक्का था। थाइरोड पर एक अन्य हलका कसने का निशान था और बाएँ तरफ गले पर रस्सी से कसा हुआ घाव था के। डॉक्टर लाल मोहम्मद ने प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 के द्वारा यह राय व्यक्त किया की, रेवती बाई की मृत्यु गला घोटने से घुटन के कारण हुई थी ।उप निरीक्षक श्री आर के जोशी अ.सा.8 ,ने विवेचना के दौरान ग्राम फुंडा मे दिनांक 30/04/1999 प्रदर्श पी 3 के द्वारा अपीलार्थी का मेमोरंडम लेखबद्ध किया तथा देवाड़ा नहर के पास खेत मे दबे हुए रु 2800 / थे बरामद किये। विवेचना उपरांत अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया था। अपीलार्थी ने अपराध अस्वीकार किया अपने को बेगुनाह होना बताया और अपने प्रतिरक्षा मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4) अभियोजन ने 10 गवाहो का परीक्षण कराया ।विचारण न्यायाधीश ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर विश्वास करते हुए ,रु 2800 की अपीलार्थी के बताये अनुसार खेत से बरामद् की ,अ.सा.3 थान सिंह, अ.सा.4 बलवंत वर्मा के साक्ष्य इससे यह संभावना कि आरोपी/ अपीलार्थी,बलवंत वर्मा अ.सा.4 के घर जाने से पहले अपने घर गया और अपनी पत्नी की हत्या की। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए उपरोक्तानुसार दंड अधीरोपित किया।

5) अपीलार्थी की और से विद्वान अधिवक्ता ने ये तर्क दिया की प्रकरण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर होने के कारण बहुत कमजोर प्रकृति की है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य मे, अपेक्षित मानक की कमी के कारण एक दाडिक प्रकरण में दोषी टहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ।अपीलार्थी के बताये अनुसार रु 2800/ की बरामदगी निश्चित रूप से और युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित नहीं करते है ।वही दूसरी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उपेक्षित निर्णय के समर्थन में तर्क किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) हमने दोनो पक्षो के परस्पर विरोधी तर्कों और साथ ही सत्र प्रकरण क्रमांक 209/99 के अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का प्रकरण पूर्ण रूप से परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनंजय चैटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में [(1994) 2 एस सी सी 220] मे स्पष्ट रूप से स्थापित किया है ,जो निम्नानुसार है।

> एक प्रकरण जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है परिस्थितिया जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला ,न केवल पूर्ण रूप से प्रमाणित हो बल्कि सभी परिस्थितियाँ इस तरह से पूर्ण रूप से प्रमाणित होनी चाहिये की उनका स्वरूप निश्चित और आरोपी के अपराध के परिकल्पना से संगति रखनी चाहिए ।ऐसी परिस्थितियाँ किसी और परिकल्पना के द्वारा स्पष्ट करने योग्य नहीं होनी चाहिए सिवाय आरोपी के अपराध के और साक्ष्य की श्रंखला इस प्रकार पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी के बेक़सूर होने के संगति में उचित आधार न रखता हो।यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कानून स्थापित परिस्थितियाँ न्याय

का आधार होना चाहिए न की न्यायालय शुब्ध और गुस्से के आधार पर दोषसिद्ध दे,और अपराध जितना गंभीर होगा साक्ष्य की जाँच मे उतनी ही सावधानी रखनी चाहिए अन्यथा सबूत की जगह संदेह ले लेगा।

7) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के प्रकाश मे,हमें यह सुनिश्चित करना होगा की अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है क्या वह अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत के मापदंड की पूर्ती करता है ।अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अ.सा.7,के अवलोकन करने पर ,डेरहा राम जो मृतक के पिता है ने यह कहा की रेवती बाई ने अपने पिता को यह बताया की उसका (रेवती बाई) पति उसे पिटा करता था। उसके पिता ने आगे यह भी कहा कि बीरेंद्र हमेशा रेवती बाई से लड़ता था और कहता था की मै तुम्हे एक दिन मार डालूंगा ,रेवती बाई ने यह बात अपने पिता से कही। चोलन दास अ.सा. 1 ने ,अपने प्रति परीक्षा के कंडिका 5 मे यह कहा कि वीरेंद्र अपनी पत्नी रेवती बाई को नहीं चाहता था और अक्सर उससे मार पीट करता था ।सहस राम ,अ.सा.6,ने यह बयान दिया की इस घटना के होने के 3–4 साल पहले प्रार्थी ने रेवती बाई से लड़ाई झगड़ा के बाद घर से रेवती बाई को निकाल दिया था उसके बाद रेवती बाई अपने मायके घर मे लगभग एक साल तक रही। इस गवाह ने यह खुलासा किया की प्रार्थी रेवती को नहीं चाहता था, घटनाओ के पीछे यही कारण था उपरोक्त उल्लेखित गवाहो के अखंडित बयानों से यह उभर कर आया की प्रार्थी अपनी पत्नी रेवती बाई की हत्या का आशय रखता था।

8) बलवंत वर्मा अ.सा.4 ने यह कहा कि दिनांक 28 –4– 99 की रात को जब वह घर मे सो रहा था, अपीलार्थी उसके घर आया और वही सो गया ।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी से पूछे गये प्रश्न क्रमांक 6 और 8 मे यह तथ्य स्वीकार किया है। अपीलार्थी ने बलवंत वर्मा के घर सोने को लेकर कोई स्पस्टीकरण नहीं दिया है। घटना की रात प्बलवंत वर्मा के घर जाकर सोने के सम्बन्ध मे अपीलार्थी से पूछा जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। चोलन दास अ.सा.1, ने कथन किया है कि दिनाँक 29–04–99 की सुबह अपीलार्थी मेरे घर आया था और मुझसे कहा की उसकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पत्नी हड़ बड़ा रह थी ।तब मै अपीलार्थी के साथ उसके घर गया था और देखा की रेवती बाई खाट के ऊपर मृत पड़ी थी और रस्सी का एक टुकड़ा उसके गले के आर पार कसा हुआ था। चोलन दास, अ.सा.1, ने यह भी कहा कि मैने अपीलार्थी से प्रश्न किया की रेवती बाई पहले ही मर चुकी है। तुमने कैसे कहा की वह हड़ बड़ा रही थी। बलवंत वर्मा के बयान से यह दिखता है की अपीलार्थी वह प्रथम व्यक्ति नहीं जिसे अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी थी और ग्राम के कुछ व्यक्ति उसके घर आये थे यह बताने की अपीलार्थी की पत्नी को किसी ने मार डाला। इस पर उसने अपीलार्थी से यह कहा की उसे घर जाना चाहिए क्योकि उसकी पुत्री बीमार है । इस संदर्भ में ऐसा प्रकट होता हैं अपीलार्थी द्वारा चोलन दास, अ.सा.1, को दिया गया बयान की उसकी पत्नी रेवती बाई हड़ बड़ा रही थी पूर्णातः गलत है और वह जानता था की उसकी (पत्नी) पहले से मर गयी थी।

9) आरती दास, अ.सा.2,ने यह कहा कि जब वह प्रार्थी के घर जा रहा था,उसने देखा रेवती बाई खाट के ऊपर मृत पड़ी थी और उसके गले के आर पार प्लास्टिक की रस्सी कसी थी और मुह के पास लूंगी का टुकड़ा था और घर के अन्दर का समान यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। बलवंत वर्मा अ.सा.4 ने इस बात की पुष्टि की ,और आगे यह भी कहा ऐसा महसूस होता हैं की घर मे किसी ने तोड़ फोड़ की थी । उप निरीक्षक आर के जोशी ,अ.सा.8,कंडिका 4 मे यह कथन किया की जब अपीलार्थी से रु 2800/ नहर के पास खेत मे छुपाने का प्रश्न पूछा तो अपीलर्थी के बताये अनुसार रु 2800/ को खेत से जप्त किया । आरती दास अ.सा.2,ने ऊपर के कथन की पुष्टि किया। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अपीलार्थी ने घटना के दिन घर मे चोरी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी। रु.2800/– अपीलार्थी के बताये अनुसार जप्ती भी,अपीलर्थी के गलत आशय को स्पष्ट करता है । यह स्पष्ट है कि घर के अन्दर के समान को इधर उधर फेकना और पैसे के गुम हो जाना ,वह यह दिखाना चाहता था कि यह एक चोरी का प्रकरण है और यह जान् बूझकर खेत मे रु 2800/– छिपाया था ताकि पैसा घर से गुमा दिखेगा ,और वहाँ सुरक्षित भी रहेगा। आरोपी यह दिखाना चाहता था की कोई व्यक्ति जो घर के अन्दर चोरी करते समय रेवती बाई को देख उसकी हत्या कर दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) आरती दास अ.सा.2,से प्रति परीक्षा मे यह प्रश्न बचाव पक्ष ने पूछा की क्या अपीलर्थी ने उस रात उसके घर के सामने ,रेवती बाई की हत्या की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, आरती दास अ.सा.2,ने इस प्रश्न के जवाब में यह कहा की यह सत्य है कि अपीलार्थ वीरेंद्र ने उसके घर के सामने रात 12 00 बजे ,रेवती बाई की हत्या की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। जो कंडिका 6 मे दर्ज़ है। आगे प्रतिपरीक्षा मे इसका खंडन नहीं किया गया ।

11) बलवंत वर्मा, अ स् 4, ने कंडिका 2, मे यह कहा की रात के भोजन के बाद वह सोने चला गया और जब वह एक नींद पूर्ण कर लिया तो अपीलर्थी उसके घर आया और उसे उठाया और उसके साथ उसके खाट पर सो गया ।यह स्पष्ट रूप से यह बताता है कि अपीलर्थी, थान सिंह अ.सा.3 के घर से वापिस आने के बाद रात लगभग 11.45 बजे अपने घर गया और रेवती बाई की रस्सी और लूंगी की मदद से गला घोट दिया। रेवती बाई का गला घोटने के बाद अपीलार्थी बलवंत वर्मा अ.सा.4,के घर गया ,और उसके घर सो गया ।सुबह बलवंत वर्मा के घर ग्राम का कोई व्यक्ति आया और सूचित किया की रेवती बाई को मार दिया गया ।इस सूचना के मिलने के बाद अपीलार्थी ,चोलन दास अ.सा.1 के घर गया और उससे झूट मुठ बोला की रेवती बाई हड़ बड़ा रही है जबकि वास्तव में उसे मालूम था की रेवती बाई मर गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) अतः अभियोजन् पक्ष ने प्रकरण में परिस्थिति जन्य साक्ष्य को पूर्ण रूप से स्थापित कर ,साक्ष्य श्रृंखला की कड़ी मे निम्नलिखित रूप से पिरोया है।

1) अपीलार्थी की नियत रेवती बाई की हत्या का था।

2) पार्वती बाई की मृत्यु एक हत्या थी जो 28/29 अप्रैल,1999 की दरम्यानी रात गला घोट कर की गई थी।

3) अपीलार्थी ने आरती दास अ.सा.2, के सामने रेवती बाई को मारने की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी ।

4) अपीलार्थी ने थान सिंह अ.सा.3, के घर से लौटने के बाद ,देर रात बलवंत वर्मा के घर सोने क्यो गया था इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया था ।

5) थान सिंह अ.सा.3, के घर से लौटने के बाद अपीलार्थी अपने घर मे क्या कर रहा था, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया।

6) प्रार्थी ने रु 2800/– नहर के किनारे खेत मे क्यो छुपा कर रखा, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया।

7)अपीलार्थी ने अपने घर मे चोरी की रिपोर्ट क्यो नहीं कराई।

8)अपीलार्थी रेवती बाई की मृत्यु को अच्छी तरह से जानता था और चोलन दास अ.सा.1, से झूठ बोला की रेवती बाई हड़ बड़ा रही थी।

13) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को पूर्ण रूप से कड़ी बद्ध श्रृंखला में स्थापित कर विचार करते हुए, हम ऊपर वर्णित परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर सुविचारित राय को अपीलार्थी के विरोध में पाते है । अंतिम रूप से इस परिकल्पना को अलग रखते हुए की अपीलर्थी बेकसूर है और अपीलार्थी इस परिकल्पना से पूर्ण रूप से सुसंगत रखते हुए दोषी है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित है कि अपीलर्थी ने रेवती बाई की हत्या 28/29 अप्रैल की दरम्यानी रात को किया था। अतः विचारण न्यायाधीश ने प्रार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में रेवती बाई की हत्या के लिए उचित रूप से दोषीसिद्ध् किया।

14) परिणामतः हम इस अपील मे ऐसे कोई सार नहीं पाते है, अतः अपील निरस्त किया जाता हैं।

सही /–
एल सी भादू
न्यायाधीश

सही /–
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरण: हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सिमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वे अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया गया जायेगा।समस्त कार्यालयिन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रामाणित माना जायेगा और कार्यान्वयन तथा लागू किये जाने हेतु उसे वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक– पी एन भास्कर राव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur